न्यायालय, भू अभिलेख अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र - 1A/2021

-: प्रार्थी :-	बनाम	-: अप्रार्थीगण :-
1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली		1. सायरी एवं अन्य जाति– भाम्बी, निवासी– निम्बेटी,रास तहसील जैतारण, जिला– पाली।

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 व 131 LR Act. भू0 राज0 अधिनियम 1956

तारीख रजू:. 06/01/2021

उपस्थितः– 1. सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 06/01/2021**

प्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 RT Act. 1936 के तहत पेश किया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा–भीलदेवा, पटवार हल्का रास–प्रथम, तहसील–जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 1028 का मिशल बदोबस्त (भू–प्रबंध 2011–2020) अनुसार कुल रकबा 00–01 बीघा हैं।

वर्तमान जमाबंदी में दर्ज उक्त खसरा नम्बरान् के बट्टा नम्बर सहित खातेदारानों का कुल रकबा 03–01 बीघा दर्ज हैं।

उक्त खसरा नम्बर की भूमि वक्त भू–प्रबंध के खसरा नम्बर 1028 रकबा 00–01 बीघा किस्म गै.मु. जो राजु पुत्र अर्जुन 1/2, ऊंकार पुत्र बालु 1/2 जाति–गुर्जर सा.देह ढाणी लखासनी के नाम दर्ज थी। वर्तमान जमाबंदी में खसरा नम्बर 1028 रकबा 00–01 बीघा भूमि प्रहलादराम दयालराम पुत्र किशनाराम वगैराह के नाम दर्ज हैं।

दिनांक 17/08/1971 को नियमन होने से नामान्तरण संख्या 1076 के जरिए खसरा नम्बर 1428 मेंसे 03–00 बीघा भूमि पुसा पुत्र लादु जाति–भांबी निवासी निम्बेटी खातेदार के नाम से दर्ज की गयी। जमाबंदी संवत् 2036–39 तैयार करते समय खाता संख्या 257 पुसा पुत्र लादु कौम भांबी सा.ढाणी निम्बेटी खातेदार के नाम खसरा नम्बर 1028 मीन रकबा 03–00 बीघा दर्ज कर दिया गया जबकि पुसाराम को खसरा नम्बर 1428 ग्राम रास में 03–00 बीघा भूमि आबंटित की गयी थी।

अतः वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज 1028/1 रकबा 03–00 बीघा ग्राम भीलदेवा के स्थान पर खसरा नम्बर 1428/14 ग्राम रास प्रथम दर्ज करवाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत प्रा. पत्र एवं मय रिकार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थनापत्र एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि खसरा संख्या 1028/1 रकबा 03–00 बीघा भूमि न तो ग्राम भीलदेवा में स्थित है तथा न [illegible] खसरा संख्या के अभिलिखित खातेदारान् का ग्राम भीलदेवा में ऐसी किसी भूमि [illegible] है। ग्राम रास के नामान्तरण संख्या 1046 द्वारा पुसा पुत्र लादू कौम– [illegible] सा0 निम्बेटी को नियमन आदेश 201 दिनांक 17.08.1971 के द्वारा खसरा संख्या 1428 में से 03 बीघा भूमि नियमित की गई जिसका जमाबन्दी सम्वत् 2032–2035 ग्राम रास प्रथम में अंकन है। आगामी जमाबन्दी चौसाला सम्वत् 2036–2039 की तैयारी के दौरान सहवन से खसरा संख्या 1428 के स्थान पर खसरा संख्या 1028 दर्ज कर दिया गया जो वर्तमान में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

खसरा संख्या 1028/1 रकबा 03-00 बीघा ग्राम भीलदेवा में दर्ज है, जो कि त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है क्योंकि उक्त प्रविष्टि का कोई दस्तावेजी आधार नहीं है तथा यह जमाबन्दी चौसाला की तैयारी के दौरान सहवन से दर्ज हुई है जिसकी शुद्धी किया जाना नियम संगत होगा तथा इससे खातेदारान् के हक एवं अधिकार अप्रभावित रहेगें।

-: आदेश :

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार जैतारण अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। तहसील जैतारण ग्राम-निम्बेटी पटवार हल्का रास प्रथम के भू अभिलेख में त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज प्रविष्टि खसरा संख्या 1028/1 रकबा 03-00 बीघा को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर पटवार रास प्रथम के ग्राम रास प्रथम में खसरा संख्या 1428/14 रकबा 03-00 बीघा शेष प्रविष्टियां यथावत रखते हुये दर्ज किये जानें का निर्देश प्रदान किया जाता है। खातेदारान् के अन्य हक अधिकार अप्रभावित रहेगें। तहसीलदार जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

भू अभिलेख अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 06/01/2021 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

भू अभिलेख अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:09 IST
Reason: SelfAttested